

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गिरधारी लाल पुरा

156/2021

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का हेमोनिमा
व भू.अ.नि. वृत्त तामडिमा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकड़ / नायब
तहसीलदार चाकड़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आनन्दरामपुरा तहसील चाकड़ व जिला ...
की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 103
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आनन्दरामपुरा	103	लाली देवी पतिन सोहनलाल	ललिता देवी उर्फ लाली देवी पतिन सोहनलाल

[Signature]
शिथिर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (अधिकारी)
चाकसू, जयपुर।

दि 17/12/21

क्रमांक:- राजसू/2021/3805
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील चाकड़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ललिता देवी उर्फ लाली देवी उर्फ सोहनलाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
शिथिर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, जयपुर।